Digitized by eGangotri

Vivah aur vichedh

विवाह और विच्छेद

Sri Pratap Singh
Library
Srinagar.

लेखक

राम प्रताप गोंडल एम० ए०, साहित्यरत्न

Ram pratab gondal

Ram

Vadya Mandal N. Delhi

विद्या मन्दिर लिमिटेड

नई दिल्ली

प्रथम बार १९४३

मूल्य आठ आना

1943

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

प्रकाशक

विद्या मन्दिर लिमिटेड

कनॉट सरकस, नई दिल्ली

194

acc: no: 14553

Rs 0-8-0

Sri Pratap Singh
Library
Srinagar.

सर्वाधिकार सुरक्षित

गोंडल्स प्रेस, नई दिल्ली में मुद्रित

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

सादर समर्पित

केन्द्रीय धारा-सभा (Central Legislature) के

उन महारथियों को

जो हिन्दू स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सुधारने के सतत् प्रयत्न

में लगे हुए हैं तथा विवाह और विवाह-विच्छेद

सम्बन्धी कानून पास करवाने में

अपना सर्वस्व लगा

देंगे।

Sri Pratap Singh
Library
Srinagar.

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

विषय-सूची

१. विवाह
२. विवाह-विच्छेद
परिशिष्ट १—२
३. विशेष विवाह कानून
४. मुस्लिम औरतों के लिये विवाह-विच्छेद के नियम

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

विवाह और विच्छेद

"विवाह की संस्था पवित्र है, उसका उद्देश्य भी उच्चतम है, परन्तु जब वह व्यक्तियों के नैतिक पतन का कारण बन जावे तब अवश्य ही उसमें किसी अनिवार्य संशोधन की आवश्यकता है।"

—महादेवी वर्मा

विवाह की आवश्यकता

विवाह की प्रथा सभ्य, असभ्य तथा जंगली जातियों अर्थात सब मनुष्य जाति में पाई जाती है। मनुष्य से इतर कुछ प्राणियों में भी, अगर विवाह की प्रथा नहीं तो, सन्तानोत्पत्ति के लिये संभोग और बाद में बच्चों के पालन के लिये एक विशेष काल तक, अगर आजन्म नहीं तो, नर और मादा दोनों का प्रयत्नशील होना पाया जाता है। हमारे यहां भी विवाह की प्रथा समाज के दो प्राणियों—पुरुष और स्त्री—को प्रथम उनके नैसर्गिक व्यापार अर्थात संभोग के लिये अनुमति देती है और पश्चात सन्तान के भरण-पोषण का भार भी उन पर डालती है। अधिकांश सभ्य जातियों में एक पुरुष और एक स्त्री के जोड़े को ही विवाह-बन्धन में बांधा जाता है।

जहां तक दो व्यक्तियों अर्थात स्त्री और पुरुष के साथ रहने और काम-वासना की अपनी नैसर्गिक इच्छा-पूर्ति का सम्बन्ध रहता है वहां तक उनके जीवन का सम्बन्ध उनके अपने व्यक्तिगत जीवन से रहता है। समाज पर उनके जीवन का प्रभाव पड़ता है, परन्तु वह उनके समाज का अंग होने के कारण। यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि समाज में रहने के लिये उन पर कुछ नियम लागू होते हैं और वे उन्हें जाने अथवा अनजाने, इच्छा से अथवा अनिच्छा से मानते ही रहते हैं। एक स्त्री और एक पुरुष के संभोग के फलस्वरूप जब सन्तानोत्पत्ति की नीव पड़ती है तब समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व भी अधिक हो जाता है और समाज को भी उनकी देख-रेख करने की आवश्यकता पड़ जाती है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

बहु-विवाह

समस्त सभ्य संसार में विवाह का सर्वोपरि स्वरूप, वर्तमान काल में और निकट भविष्य में भी, एक पुरुष और एक स्त्री के जोड़े तक ही सीमित रहेगा। व्यक्ति, समय और स्थान-भेद के अनुसार तथा कुछ जातियों में परमपरागत सामाजिक नियमों के कारण एक पुरुष का दो २ अथवा तीन २ स्त्रियों के साथ शादी करना, अथवा दो २ तीन २ पुरुषों के साथ एक स्त्री का विवाह कर रहना भी पाया जाता है। इसमें एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियां रखना अधिक प्रचलित है। हमारे हिन्दू धर्म में यद्यपि एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने के मार्ग में धार्मिक अथवा कानूनी रुकावट नहीं है परन्तु फिर भी समाज इसे हेय ही समझता है। इसलिये हिन्दू-विवाह का प्रमुख स्वरूप एक पुरुष और एक स्त्री का गठबंधन करना ही है। कई युरोपीय देशों में कानूनन एक पुरुष के लिये एक से अधिक स्त्रियों से शादी करना मना है। उन्हें इस नियम के तोड़ने पर कड़ी सजा मिलती है। हमारे यहां भी स्त्रियों के हितों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पुरुषों के इस अनुचित अधिकार को कानूनन रोक दिया जाय।

कोई समय था जब राष्ट्र की और समाज की शक्ति बढ़ाने के लिये एक से अधिक स्त्रियां पुरुष के लिये विवाहित रूप में रखना आवश्यक माना गया था परन्तु अब वह समय आगया है जब न तो अबाध सन्तानोत्पत्ति की ही देश को आवश्यकता है और न ही स्त्रियों के लिये जीवन का उद्देश्य केवल बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना ही रह गया है। आज वे जीवन में अपना व्यक्तित्व बनाना और जीवन-सम्बन्धी वर्तमान प्रगतिशील विचारों के अनुसार अपना जीवन यापन करना आवश्यक समझती हैं। उनकी इस भावना में मातृत्व की भावना की उपेक्षा नहीं बल्कि वे पढ़ी-लिखी, सुयोग्य माताएँ बनने के साथ ही समाज का क्रियाशील अङ्ग बन कर रहना चाहती हैं और अन्य जीवित जातियों की स्त्रियों की तरह ही अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहती हैं। आज उनके सामने तुर्की का जीवित उदाहरण है, चीन की अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने-मरने वाली स्त्रियों का चित्र है और जापान की विजय-श्री से उन्नत मस्तक स्त्रियों के समान सुनहला भविष्य।

अनमेल-विवाह

बहु-विवाह की उपरोक्त प्रथा के अलावा हमारे यहां अनमेल विवाह भी बहुत होते हैं। माता-पिता को अपनी संतानों पर, विशेष कर कन्याओं पर, एकच्छत्र आधिपत्य मिला हुआ है। १७-१८ वर्ष की विवाह-योग्य लड़कियों और २०-२२ वर्ष के विवाह-योग्य लड़कों को केवल नन्हे, दूध पीते बच्चे समझ कर अपनी इच्छानुसार, उनके हितों

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

की, उनकी भावनाओं की कई अंशों में अवहेलना कर, विवाह के बन्धन में जकड़ दिया जाता है। आज भारतीय माता-पिता अपनी युवा सन्तानों को बालकों की श्रेणी में मानते मानते उनकी उन्नति में बाधक बन गये हैं। हमारे यहाँ के विश्व विद्यालय की उपाधि-प्राप्त युवा लड़की को माता-पिता किसी के भी हाथ कन्या-दान के रूप में देकर पवित्र विवाह की प्रथा पूर्ण कर अपना अहोभाग्य समझते हैं। लड़की उनके सामने अपना सिर भी ऊँचा नहीं कर पाती। ऐसे उदाहरण भी कम देखने को नहीं मिलते जहां रुपये के लालच से, अथवा मान-प्रतिष्ठा पाने के लालच से अथवा अन्य कई कारणों से माता-पिता अपनी युवा लड़कियों को, यहां तक कि १४-१५ वर्ष की बालिकाओं को, ४५ वर्ष से भी अधिक उम्र के प्रौढ़ अथवा वृद्ध पुरुषों के पल्ले बांध देते हैं। वे एक बात जानते हैं कि लड़की का विवाह होना चाहिये। चाहे उस विवाह से लड़की का जीवन दुखी हो, वह दस वर्ष बाद ही आजन्म वैधव्य भोगने के लिये मजबूर हो जाय, अथवा यौवन के आरम्भ के साथ ही सन्यासिनियों के समान त्यागमय जीवन-यापन के लिये मजबूर हो जाय। समझ में नहीं आता इस प्रकार के अनमेल विवाहों पर हिन्दू समाज कब तक गम खाता बैठा रहेगा और कानूनन इन पर प्रतिबन्ध लगाने पर अपनी कमर नहीं कस लेगा।

विवाह की प्रथाएं

अनमेल विवाहों के अतिरिक्त हमारे यहां विवाह की प्रथाएँ भी इतनी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं कि पढ़े-लिखे व्यक्तियों में, हमारे वर्तमान काल के जीवन के साथ, वे साम्य नहीं खातीं। विवाह-योग्य पढ़े-लिखे लड़कों को भी मजबूर किया जाता है कि वे अपना स्वांग बना कर, अर्थात अपनी इच्छानुसार फैशन में आये हुए कोट-पतलून के साथ सिर पर पगड़ी जैसे-तैसे लपेट लें या किसी से उधार लेकर रख लें, उस पर मुकट वगैरह पहन अपनी शकल दूसरों से छिपा कर सजी हुई छम २ करती घोड़ी पर तलवार या ऐसी ही कोई वस्तु लेकर बैठें, पीछे बरातियों की एक बड़ी पार्टी लें और बाजे-गाजे के साथ लड़की वालों के घर पहुँचे और रात में चोरों की तरह विवाह करवा लें। दूसरी ओर लड़की—यहां तक कि अच्छी २ उच्च शिक्षा-प्राप्त लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता देखा गया है—जुट-छुहारों से लदी हुई, हाथी दांत के कोहनियों तक के लाल चूड़े के साथ लाल चादर में लिपटी-लिपटाई एक गठरी सी बना कर वेदी के सामने लाकर ऊंघती हुई बैठा दी जावे। पंडित जी—जो शायद वर-वधू के पासंग में भी विद्या-बुद्धि में न ठहरें—संस्कृत में मंत्र पढ़ते जावें और विवाह-सम्बन्धी सारा पोथा ३ घन्टे में उनको सुना कर कन्या-पक्ष से कन्या का दान करवा अपनी दक्षिणा ले लम्बे पड़ें। नव

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

विवाहिता एक बिल्कुल नये परिवार में, अपरिचित व्यक्तियों के साथ, रहने के लिये सैंकड़ों मील दूर भेज दी जाती है। वहां पर उसके आराम की, उसकी विकट परिस्थिति का ध्यान न रख उससे सब प्रकार की अनुचित रस्में पूरी करवाई जाती हैं। सास समझती है उसे आज एक दासी मिल गई है। वह अपने स्वामी की दासी तो बनती ही है परन्तु उससे अधिक उसे सुसराल वाले अन्य व्यक्तियों की दासी बनना पड़ जाता है। नव विवाहित लड़के-लड़कियों के स्वाभाविक, नैसर्गिक व्यापार पर और लड़कियों की कई वर्षों की संचित आदतों और अभिलाषाओं पर एक बारगी ही कुठाराघात कर दिया जाता है। एक हिन्दू लड़का-लड़की जन्म भर के लिये पवित्र, पारलौकिक बंधन में, वास्तव, में बांध दिया जाता है। यह उस विवाह का स्वरूप है जिसे बड़ा पवित्र, वर-वधू की दृष्टि से कल्याणकारी और श्रेष्ट समझा जाता है और जिसका पूर्ण चित्र प्रत्येक पाठक इस आधार पर अपनी आंखों के सामने खैंच सकता है।

यह विवाह किस दृष्टिकोण से, समाज के हितों को लेकर अथवा व्यक्ति के हितों को लेकर, उचित है समझ में नहीं आता। एक पढ़ी-लिखी लड़की है, उसकी उम्र बीस वर्ष की है। माता-पिता, मान लीजिये, उसके पंजाबी हैं परन्तु किन्हीं कारणों से बम्बई प्रांत में रहने लग गये हैं। लड़की के बीस वर्ष उसी प्रांत में लालन-पालन, खेल-कूद और पढ़ने-लिखने में बीते हैं। उसने हिन्दी के स्थान में मराठी सीखी है; पर्दे की प्रथा वह जानती नहीं और उसकी शिक्षा उसी प्रांत के लड़कों के स्कूल और कॉलेज में हुई है; खान-पान, रहन-सहन सब उसका कुछ न कुछ साम्य उस प्रान्त से रखने लग गया है; छुआछूत का उस परिवार में इतना विचार नहीं किया जाता। स्कूल अथवा कॉलेज में रहकर और अन्य प्रकार से सम्पर्क में आकर उसकी कुछ लड़कों से घनिष्टता हो जाती है, किसी से उसकी मैत्री हो जाती है और यहां तक कि प्रेम भी। पढ़ाई समाप्त करने पर उसे अपने विवाह की प्रतीक्षा में घर पर बैठना पड़ जाता है। उसका मिलना-जुलना बहुत कुछ बन्द हो जाता है। पढ़ने-लिखने को घर पर न कोई पुस्तकालय है, सभाओं वगैरह में वह जा नहीं सकती, खेल-कूद के लिये उसके लिये कोई स्थान नहीं, चार या पांच वर्ष उसे निष्क्रिय जीवन अथवा घर के काम-धंधे का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। माता-पिता वर की खोज में छः साल से हैरान हो जाते हैं। उस प्रांत के लड़के से शादी भला होना कहां, सोचा भी नहीं जाता; जात-पांत के झगड़े, लड़के के माता-पिता की इच्छा-अनिच्छा वगैरह। भाग्यवश पिता वर खोजता है। लड़का जोधपुर में मिलता है; परिवार पंजाबी है; पर्दे की उनके यहाँ प्रथा है; जात-पांत, छुआ-छूत का उनको विचार है; रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा, विचार वगैरह सब विभिन्न वातावरण के आधार

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

पर बने हैं। लड़की का पिता भी लड़का देखने का अथवा अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता। लड़की-लड़के की आपस में कोई जान-पहचान नहीं। उनका आपस में एक दूसरे की शकल देखना अपराध समझा जाता है, लड़के-लड़की का परिचय कराना तो है किस गिनती में।

परिणाम यह होता है कि एक पढ़ी-लिखी, सुसंस्कृत लड़की अपने प्रिय जनों और परिजनों से उखेड़ कर दासी के स्थान पर रख दी जाती है। माता-पिता, सास-ससुर और पति महोदय चाहते हैं कि दासी की अवस्था में ही वह खुश रहे और पति-परिवार को भी, जो पति-पत्नी तक ही नहीं बल्कि पति के माता-पिता, बहन-भाई, दादा-दादी और भाभी वगैरह तक विस्तृत है, खुश रखे। यह कैसे सम्भव हो सकता है? नव विवाहिता के सारे अरमानों को कुचल कर कदाचित। क्या यह आवश्यक है कि इस परिस्थिति में नव विवाहिता अपने पति को प्रेम करे ही? वह घृणा भी करने लग सकती है अथवा समझ सकती है कि जानवरों की तरह उसे जीवन काटना है।

चूंकि प्रत्येक लड़के-लड़की का विवाह में बांधना हमारे समाज की एक आवश्यक प्रथा समझी गई है, इसलिये विवाह करते समय स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा जाता। माता-पिता अपने अस्वस्थ, विवाह के अयोग्य लड़के-लड़कियों का डाक्टरों की ओट लेकर, वगैर किसी हिचकिचाहट के विवाह करते देखे गये हैं। लड़कियों को ही अधिक कष्ट इस कारण भोगने पड़ते हैं। हिन्दू धर्म में पुरुष अपनी स्त्री के बीमार रहने पर दूसरी शादी करवा सकता है, पहली स्त्री को निराश्रित छोड़ सकता है अथवा और जो कुछ भी चाहे कर सकता है। अगर अपने हाथों, कानून के डर से, ज़हर देकर मार नहीं सकता तो अपनी पत्नी को मजबूर कर सकता है कि वह अपने हाथों ज़हर का घूंट पी ले। कई ऐसी अभागी लड़कियां हैं जिन्हें विवाह के बाद अपने पतियों को विवाह के लिये शरीर से अयोग्य पाकर भी निःसंतान सारी उम्र रो-धोकर ही उस पति के साथ काटनी पड़ती है। इच्छा रहने पर भी वे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर पातीं। इसी प्रकार अस्वस्थ लड़कियां अनिच्छा होने पर अथवा अयोग्य रहने पर जबरदस्ती विवाह करने पर मजबूर की जाती हैं और विवाह के बाद शीघ्र ही प्रसविनी होते ही अपनी इहलीला समाप्त कर देती हैं या अपना जीवन दूसरों के लिये भाररूप और अपने लिये नरकमय बना लेती हैं।

विवाह और सन्तानोत्पत्ति

विवाह जहां व्यक्ति के हित में आवश्यक है और समाज में व्यक्तिगत उच्छृङ्खलता होने से रोकता है वहां उसका अधिक महत्व समाज की शक्ति बढ़ाने में है। नया जीवन

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

देश तथा जाति के जीवन में परमावश्यक है। जिन जातियों में संतानें अधिकाँश दुर्बल अथवा निकम्मी और निस्तेज पैदा होती हैं वे जातियां अपना जीवन इस संसार में अधिक काल तक नहीं रख पातीं। प्रकृति की ओर से सन्तानोत्पत्ति के लिये इतना जोरदार प्रबन्ध किया गया है कि बगैर कृत्रिम उपायों को काम में लाये हुए प्रति दूसरे वर्ष स्त्री एक बच्चे को जन्म दे सकती है। स्वस्थ पति-पत्नी कितना भी अपने ऊपर नियन्त्रण रखें, स्त्रियों की भावुकता, उनकी कोमलता और दुर्बलता तथा जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनायें उन्हें पुरुष-सामीप्य के लिये जहां प्रेरित करती हैं वहां पुरुषों की तीव्र काम-वासना उसमें घृताहुति का काम देती है और संभोग अधिक काल के लिये टाला नहीं जा सकता। हम लोग यह तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि शिशु-जनन के लिये कितने कम संभोग की आवश्यकता है। इसीलिये तो यह कहा जाता है कि प्रकृति ने पुरुष और स्त्री में काम-वासना और साथ ही वात्सल्य-भावना अपने तीव्र रूप में पैदा कर सन्तानोत्पत्ति के लिये उर्वरा क्षेत्र बना दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कई रूपों में इसमें बाधा उपस्थित करता आ रहा है फिर भी मानव जीवन में बच्चों की सामाजिक आवश्यकता के अतिरिक्त वैयक्तिक आवश्यकता भी बनी हुई ही है।

शिशु-जनन की दृष्टि से विवाह पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। हमारी विवाह-पद्धति ने माता-पिता के हाथों पर लड़के-लड़कियों के विवाह का भार डाल कर निम्न बातों को प्रधानता दी है:—

(१) योग्य माता-पिता उचित आयु में अर्थात् १७-१८ साल की लड़की का तथा २०-२२ साल के लड़के का विवाह करने में अधिक सफल होते हैं।

(२) लड़के-लड़कियों का इस आयु में विवाह कर वे अपने संचित द्रव्य में से कुछ भाग दहेज वगैरह तथा अन्य रूपों में देकर उनके नये घर की नींव डाल देते हैं तथा लड़कों को जीविकोपार्जन के लिये प्रस्तुत कर देते हैं। माता-पिता पर विवाह का भार होने से यह भी आवश्यक नहीं रहता कि विवाह तब तक न किया जाय जब तक लड़का अथवा लड़की अपने जीवकोपार्जन का स्वयम् प्रबन्ध नहीं कर पाता।

(३) १६-१७ साल की भावुक लड़की अथवा २०-२२ साल के अनुभवहीन लड़के से यह आशा नहीं की जा सकती कि अपने यौवन के आरम्भ में वह काम-वासना की तृप्ति के अतिरिक्त अपना जीवन-संगी चुनने में और आवश्यक बातों का जैसे अपने साथी का स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसके घराने का तथा शिशु-जनन-सम्बन्धी आवश्यक नियमों का भी ध्यान रख सकेगा। इस आयु में, अन्य सामाजिक बन्धनों के अभाव में लड़कियों में और बन्धनों के होते हुए लड़कों में काम-वासना और स्त्री-पुरुष जन्य

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

आकर्षण इतना तीव्र हो सकता है कि, गृह और परिवार-संचालन की अन्य वस्तुओं के अभाव में, उनका विवाह-बन्धन में बंध जाना अपने विवाहित जीवन को भी कड़वा बनाना तथा भावी सन्तानों के जीवन को भी खतरे में डाल देना है।

इसलिये यह तो नितांत आवश्यक है कि योग्य माता-पिता का अपनी संतान के विवाह में उचित हाथ हो, परन्तु ज्यों २ लड़के-लड़कियां अधिक उम्र के होते जावें यह भी आवश्यक है कि माता-पिता अपने हित में तथा उनके हितों में अपने संरक्षण का हाथ उनके ऊपर से खींचते जावें। तीस वर्ष के एक विवाहित युवक और पच्चीस वर्ष की एक विवाहित युवती के स्वतंत्र विवाहित जीवन व्यतीत करने में अगर माता-पिता अथवा अन्य परिजन, अगर किसी सदेच्छा से भी, उन पर दबाव डालते हैं और भविष्य की सुनहली आशा में अथवा अपनी ५०-६० वर्ष की आयु के अनुभव पर उनका जीवन चलाने के लिये उनके विवाहित जीवन में हस्ताक्षेप करते हैं तो यह उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से और समाज में समय के साथ जो परिवर्तन होना आवश्यक है उसके दृष्टिकोण से भी सर्वथा अनुचित और हानिप्रद है। मैं एक २५—३० वर्ष के विवाहित पति-पत्नी के लिये जीवन-सरिता में अपनी नौका स्वयम् खेना स्वाभाविक और अधिक कल्याणकारी समझता हूँ।

विवाह का स्वरूप

कुछ थोड़े से सुभीते के लिये हम विवाह को तीन श्रेणियों में बांटते हैं:—

(१) विवाह की पहली श्रेणी में मैं भारत की उन जंगली, देहाती और असभ्य जातियों तथा बे पढ़े-लिखे, निर्धन कृषक और मजदूर वर्ग के लड़के-लड़कियों के विवाहों को रखता हूँ जिनके विवाह का भार भी उनके निर्धन, अशिक्षित माता-पिताओं पर ही पड़ता है। उनके विषय में मैं यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि जब तक विवाह की प्रथा का सुधार पढ़े-लिखे तथा सम्पन्न परिवारों में नहीं हो जाता तब तक निम्नतर जातियों में इस सुधार की आशा करना रेगिस्तान में बाग लगाने के समान है। अपने से उच्च जातियों को देख देख कर ही ये लोग अपने जीवन को धीरे धीरे उनके अनुरूप बनाते चले जाते हैं।

(२) दूसरे वे विवाह हैं जिनमें माता-पिता का अधिक हाथ रहे और उन पर भार भी अधिक पड़े। इन विवाहों का संक्षेप में रूप यह होगा :—

विवाह-योग्य लड़की की उम्र लगभग १६-१७ साल की होगी और लड़के की लगभग २०-२२ वर्ष की। लड़की ने साधारण शिक्षा प्राप्त की होगी। घर के काम-धन्धे का उसे काम-चलाऊ ज्ञान होगा। ८ व ९ साल के लगभग उसने स्कूल में शिक्षा भी प्राप्त की

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

होगी। अनुभव की उसमें कमी होगी, विवाह के बारे में वह बहुत-कुछ अनभिज्ञ, अधिक भावुक, माता-पिता अथवा सास-ससुर पर अधिक अवलम्बित, अपने पैरों पर अभी खड़े होने के बहुत-कुछ अयोग्य। इसी प्रकार लड़का भी नया २ ही अभी जीविकोपार्जन में लगा होगा अथवा विश्व-विद्यालय में कहीं शिक्षा प्राप्त कर रहा होगा। संसार के अनुभव की उसमें कमी, स्वतंत्र-रूप से विवाहित जीवन तथा अपना अन्य जीवन यापन करने में अभी बहुत-कुछ अयोग्य। विवाह के विषय में उसकी जानकारी कम। अपने लिये जीवन-संगी चुनने के लिये जो योग्यता की आवश्यकता होती है उसकी उसमें कमी। ऐसी उम्र के लड़के-लड़कियां, जहां तक शरीर के विकास का सम्बन्ध है, विवाह-बन्धन में बंध सकते हैं तथा एक-दो साल के विवाहित जीवन के उपरान्त स्वस्थ सन्तान उत्पन्न करने में योग्य हो सकते हैं। भारतीय वातावरण में विवाह की ये उम्रें बुरी भी नहीं, बल्कि कहना तो यह होगा कि यौवन का आरम्भिक काल ही सन्तानोत्पत्ति के विचार से तथा लड़के-लड़कियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से और आगामी सुखद विवाहित जीवन के लिये है भी आवश्यक। योग्य माता-पिता और सास-ससुर की देख-रेख में रह कर नव विवाहिता अपने पति के अनुरूप बहुत-कुछ अपने आपको बनाने में सफल भी हो सकेगी। लड़का भी माता-पिता की देख-रेख में रह कर अपना अनुचित दबाव तथा अपनी सनकों का कुप्रभाव अपनी भार्या पर नहीं डाल सकेगा और स्वयम् भी अपनी स्त्री के अनुकूल अपना स्वभाव बनाने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार दोनों, स्त्री-पुरुष के नैसर्गिक शारीरिक आकर्षण की उपस्थिति में स्वस्थ, काम-मय जीवन (sexual life) व्यतीत करते हुए अपना भावी जीवन अधिक उपयुक्त बना सकेंगे तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

ऐसे विवाहों में माता-पिता पर भार अधिक पड़ता है, उनका उत्तरदायित्व भी नव दम्पति के बारे में विशेष बढ़ जाता है। माता-पिता के लिये यह समझ लेना नितांत आवश्यक है कि लड़के-लड़की के भावी जीवन को अपनी ओर से सुखद बनाने के लिये ही वे उनका विवाह कर रहे हैं। लालच के कारण अथवा मान-प्रतिष्ठा पाने के कारण अथवा मनोरंजन के कारण अथवा केवल इसलिये कि चाहे संतान विवाह के सर्वथा अयोग्य हो फिर भी विवाह कर ही देना चाहिये अगर कोई माता-पिता अपनी संतान के जीवन को दुखी बनाते हैं तो समाज की ओर से उनको सजा मिलनी चाहिये।

विवाह से पूर्व दोनों पक्ष के माता-पिता लड़के-लड़की का आपस में परिचय करावें, वे आपस में स्वच्छंद होकर मिलें और आवश्यक सम्बन्ध बढ़ावें जिससे कि लड़की को माता-पिता का घर छोड़ने में दुख न हो और सास-ससुर का घर बिल्कुल ही

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

नया न मालूम हो। लड़के-लड़की का पूर्व परिचय होने पर बहुत अंशों में उनके आपस के प्रेम का तथा निभने-निभाने का भी पता लग सकता है। ऐसा वातावरण उपस्थित करना नितांत आवश्यक है जिसमें लड़की सास-ससुर के घर जाकर भी यथा सम्भव यह समझे कि उसे समरूप ही घर मिला है। मैं तो समझता हूँ कि यह कोई कठिन काम नहीं। केवल माता-पिता अगर इतना प्रण कर लें कि वे कोई ऐसा विवाह नहीं करेंगे जिसमें लड़के-लड़की के किसी हित की अवहेलना हो तथा जिसमें विवाह-बन्धन में बांधना ही उनके जीवन का एक मात्र उद्देश्य मान लिया गया हो।

माता-पिता के लिये यह जानना जरूरी है कि लड़के-लड़की के जीवन में विवाह एक आवश्यक वस्तु होते हुए भी जीवन से ऊपर नहीं है। जीवन विवाह से कहीं ऊपर है, कहीं पवित्र है और कहीं आवश्यक। जीवन की मांग के आगे संकुचित अर्थों में चरित्र की कमी, लड़कियों का उनके कौमार्य खो जाने के डर से शिक्षा, स्वास्थ्य और नैसर्गिक जीवन-व्यापार से विमुख कर उन्हें पिंजरे के पक्षी बना डालना कोई महत्व नहीं रखता। विवाह की प्रतीक्षा में लड़की को घर में बैठा कर माता-पिता का पागलों की तरह वर की खोज और लड़की को अपने ऊपर भार समझ कर किसी के सिर मढ़ देना कहां का न्याय है; समझ में नहीं आता। गाय को बेचते हुए भी जहां यह पता लगा लिया जाता है कि कसाई के हाथ तो नहीं बिक रही वहां एक लड़की के लिये वर ढूंढते हुए वर में अथवा सास-ससुर में अथवा उनके अन्य सगे-सम्बन्धियों में छिपे हुए कसाई की लड़की के माता-पिता उदासीन होकर अवहेलना कर जाते हैं। अधिकांश माता-पिता विवाह के समय दूसरे पक्ष की दया पर कन्या को छोड़ कर और बाद में लड़की के हितों की रक्षा करने में अपने आपको असमर्थ पाकर केवल लड़की के साथ दो-दो आंसू रोकर और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल मान कर चुप बैठ जाते हैं, परन्तु ऐसे माता-पिता की भी कमी नहीं जो लड़की को अपने जीवन पर खेल कर भी वर पक्ष की उचित-अनुचित मांगों को पूरा करने के लिये बाध्य करते हैं। लड़की के लिये इस जंजाल से छूटने का और कोई चारा भी नहीं रह जाता। न्याय भी उसकी सहायता के लिये नहीं आता, क्योंकि हिन्दू-धर्म में अभी सम्बन्ध-विच्छेद के लिये कोई स्थान नहीं। समझ में नहीं आता किस प्रकार समझदार, शिक्षित माता-पिता भी अपनी प्रेमपूर्वक पाली हुई लड़की पर इतना अन्याय करने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं और विवाह के समय मूर्खतापूर्ण, हानिप्रद, हास्यास्पद और लड़के-लड़की के भावी विवाहित जीवन को विषाक्त करने वाली रस्मों के पालन में अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं।

(३) तीसरे वर्ग में वे विवाह आते हैं जिनमें माता-पिता को परोक्ष में रह कर

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

अपने पढ़े-लिखे, अच्छी उम्र के लड़के-लड़कियों की शादी में सहयोग देना चाहिये। एक २०-२२ वर्ष से ऊपर की पढ़ी-लिखी, शिक्षिता लड़की से यह आशा की जायगी कि उसने कुछ संसार का अनुभव भी प्राप्त कर लिया है और साथ ही विवाह-सम्बन्धी, भावी पति-सम्बन्धी तथा जीवन-सम्बन्धी कुछ अपने विचार भी बना लिये हैं। वह अभी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, अथवा अपने जीवन को जीवकोपार्जन में अथवा किसी समाजोपयोगी काम में लगा चुकी है। घर से बाहर उसके कुछ आवश्यक सम्बन्ध भी स्थापित हो चुके हैं। उसने अपना पति चुन लिया है अथवा वह बगैर अपनी स्वीकृति के किसी से भी विवाह-सम्बन्ध प्रस्तुत करने को तैयार नहीं। उसके सामने जात-पांत का कोई प्रश्न नहीं, न ही वह माता-पिता पर अपने भावी जीवन के लिये अथवा विवाह-सम्बन्ध करने के लिये किसी प्रकार आश्रित है। विवाह से पूर्व वह अपने लिये चुनाव कर चुकी है और विवाह केवल स्वीकृति-मात्र रह जाता है। दूसरी ओर लड़का भी माता-पिता पर किसी प्रकार अवलम्बित नहीं, न ही उनके कथनानुसार अथवा विचारानुसार वह प्रत्येक अथवा कोई भी कार्य करना आवश्यक समझता है। ऐसे विवाहों में माता-पिता का काम केवल सहयोग देना रह जाता है। उन्हें अपने रुपये के लिये या अन्य आवश्यक सहायता के लिये किसी प्रकार की उनसे आशा नहीं रखनी चाहिये। अगर इतनी निस्वार्थ भावना से वे अपनी सन्तान की सहायता नहीं कर सकते तो भविष्य में उससे आशा भी क्या रख सकते हैं? मनुष्य मनुष्य को अहसानों के बोझ के नीचे दाब कर ही उससे सहर्ष आत्म-समर्पण करवा सकता है।

ऐसे पढ़े-लिखे, शिक्षित और स्वावलम्बी युवक-युवतियों के विवाह प्रचलित प्रथा के आधार पर होना उनके लिये तथा समाज के लिये लज्जा का बायस है। विवाह उनके लिये एक सामाजिक स्वीकृति जितना महत्त्व रखता है और उसके लिये न्यायाधीश के सामने रजिस्ट्री होजाना भी उतना ही पर्याप्त है जितना किसी आर्यसमाज-भवन, गुरुद्वारे अथवा किसी ऐसे ही अन्य सामाजिक स्थान पर समाज के योग्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उसको स्वीकृति मिल जाना।

जितनी सादगी अथवा उच्चादर्श के साथ यह सम्बन्ध हो उतना ही यह समाज के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। विवाह का परमोद्देश्य भी तभी पूरा हो सकता है जब व्यक्ति और समाज के हितों में आवश्यक सामञ्जस स्थापित कर दिया जाय।

मैं आदर्श विवाह का संक्षेप में यह रूप देखता हूँ: वर तथा वधू, जिनका आपस में अच्छा परिचय और प्रेम-सम्बन्ध तथा भविष्य में पति-पत्नी बनकर रहने का निश्चय होचुका है, और दोनों पक्ष के माता-पिता को भी पूर्व परिचय इसका दे दिया गया है,

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

अपने सगे-सम्बन्धियों तथा मित्रों वगैरह के साथ एक स्थान पर प्रभात के शुभ मुहूर्त में अर्थात् ७॥—८ बजे अथवा ६॥—७ बजे संध्या की सुन्दर वेला में एकत्रित होते हैं। स्थान आर्यसमाज-भवन, गुरुद्वारा, मन्दिर या अन्य कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता है। किसी सुयोग्य व्यक्ति का विवाह-सम्बन्धी किसी विषय पर अभिभाषण होता है। तत्पश्चात् वर तथा वधू में फूल-मालाओं का आदान-प्रदान होता है। अन्य उपस्थित सज्जन आशीर्वाद के साथ वर-वधू पर पुष्प-वर्षा करते हैं। समयानुकूल गायन, वाद्य और मनोरंजन का भी कार्य-क्रम रहता है। पश्चात् सब लोग सहभोग में सम्मिलित होते हैं जो किसी भी पक्ष की ओर से अथवा दोनों पक्षों की ओर से दिया जा सकता है। यहीं पर लोगों की ओर से प्रेमोपहार नव दम्पति को दिये जाने चाहियें। दोनों पक्ष के माता-पिता भी सब भेंट यहीं पर करें। जो भेंट वर के लिये हो वह वर की समझी जाय, जो वधू के लिये हो वह वधू की। सम्बन्ध-विच्छेद का अवसर आ पड़ने पर अपनी अपनी वस्तुओं को अपने साथ ले जाने का पूरा हक़ दोनों व्यक्तियों को होना चाहिये।

विवाह-विच्छेद की आवश्यकता

विवाह-सम्बन्ध कितना भी देख-भाल कर किया जाय, माता-पिता अपनी ओर से कितने ही निस्वार्थ भाव से पुत्र-पुत्री के हितों को देखकर ही उनका विवाह करें, या युवक-युवती स्वेच्छा से ही विवाह-बन्धन में आबद्ध हों, फिर भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि पति-पत्नी जीवन-पर्यन्त प्रेम-बन्धन में बँधे रहेंगे। पति-पत्नी के जीवन में अन्य व्यक्ति आते हैं, उन्हें कई जीवन के उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं, और अवस्था के साथ विचारों में परिवर्तन होता है। कभी समय के साथ आरम्भिक दलदल में फँसे हुए पति-पत्नी निकल कर अपने आपको स्वच्छ, शान्त जल में क्रीड़ा करते हुए पाते हैं और उनका सम्बन्ध दिन-ब-दिन दृढ़ और विकसित होता जाता है। शरीर और मन दोनों ही मिल जाते हैं। प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का उदय होता है। परन्तु विपरीत इसके ऐसे पति-पत्नी भी पर्याप्त संख्या में देखने को मिलते हैं जिनका प्रथम-मिलन, विषय-वासना जन्य अधिक होने से, अधिक आशाजनक होते हुए भी भविष्य में विच्छेद के बीज अंकुरित होने का आभास मिलने लगता है। कौन कह सकता है कि वातावरण बदलने पर सम्बन्ध का स्वरूप क्या रहेगा? सामाजिक शृङ्खलाओं और रूढ़ियों में जकड़े हुए पति-पत्नी येने केन प्रकारेण अपना जीवन चाहे काटते चले जावें परन्तु समाज की ओर से उचित आज़ादी मिलने पर वे अवश्य ही अपने लिये अलग अलग रास्ता चुनने में नहीं झिझकेंगे।

स्वभाव तथा वातावरण के परिवर्तन के अतिरिक्त भी कई विवाह इसलिये

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

असफल रह जाते हैं कि दोनों पक्ष के या किसी एक पक्ष के माता-पिता वगैरह, आवश्यकता से अधिक, अपने विवाहित लड़के-लड़कियों के जीवन में हस्ताक्षेप करते हैं। उनकी छोटी-छोटी बातों पर, उनके उठने-बैठने, खाने-पीने, रहन-सहन पर तीव्र कटाक्ष करते हैं। हिन्दू सम्मिलित परिवारों में जहां कई कई परिवार एकत्रित रहते हैं नव दम्पति का निर्वाह होना निश्चय ही बड़ा कठिन हो जाता है।

पति-पत्नी में बिगाड़ होने का एक प्रमुख कारण दोनों में से किसी एक का दीर्घ काल तक अस्वस्थ रहना और परिणाम में सन्तान का न होना अथवा दुर्बल होने के कारण मर जाना भी है। सन्तान न होने के कई कारण हो सकते हैं। अधिकांश स्त्रियां ही अयोग्य सिद्ध होती हैं। पति-पत्नी जब सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से अयोग्य सिद्ध होते हैं और उनमें आपस में अनबन रहने लगती है तो विच्छेद व्यक्तिगत हितों में सम्भव हो जाता है।

विच्छेद कभी-कभी इसलिये भी आवश्यक हो जाता है कि स्त्रियां अपने सुयोग्य, होनहार पतियों को उनका जीवनोद्देश्य पूरा करने में सहयोग नहीं दे पातीं। ऐसे पुरुष-रत्न अपने जीवन का अधिकांश समय अथवा आरंभिक काल गरीबी में काटते हैं और यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्त्री इतना त्याग कर ही सके। सम्बन्ध अधिक बिगड़ने पर तो अच्छे-अच्छे लेखकों, कवियों, दार्शनिकों, और कलाविदों की स्त्रियां भारतीय वातावरण में पागल तक होती देखी गई हैं। जो स्त्रियाँ अधिक तेज होती हैं वे अपने अत्याधिक हस्ताक्षेप से अपने होनहार पतियों का जीवन भी बिगाड़ देती हैं।

कहीं कहीं यह भी देखा जाता है कि विवाह के बाद पति अथवा पत्नी का प्रेम-सम्बन्ध किसी दूसरे व्यक्ति से इतना तीव्र हो जाता है कि पति-पत्नी का सामाजिक सम्बन्ध इतना शिथिल पड़ जाता है और अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध इतना घनिष्ट हो जाता है कि नये सिरे से उन्हें अपना स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध स्थापित करना पड़ जाता है। कई बार एक ही पथ के पथिक, दो स्त्री-पुरुष भी, विवाह-बन्धन में बंध अपने संबन्ध को जीवन-पर्यन्त रखने में अशक्त पाते हैं।

अतः यह आवश्यक नहीं कि एक बार विवाह-बन्धन में आबद्ध हो जाने पर फिर वह सम्बन्ध सुचारुरूप से जीवन-पर्यन्त चलता रहे। कौन दोषी है केवल यह जान लेने से या सिद्ध कर देने से भी समस्या सुलझती नहीं। बिगड़े मनों को कितना ही समझाते चले जाइये परन्तु स्थायी प्रभाव कभी कभी ही देखने को मिलता है।

ऐसी अवस्था में समाज के सम्मुख केवल एक मार्ग खुला है: वह है सम्बन्ध-विच्छेद।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

विच्छेद-सम्बन्धी कानून

सम्बन्ध-विच्छेद का विधान क्या होना चाहिये, यह एक बड़ा आवश्यक प्रश्न है। दूसरे देशों में और भारतवर्ष में भी अन्य मतावलम्बियों में सम्बन्ध-विच्छेद की अनुमति है। हिन्दुओं की निम्न श्रेणियों में सम्बन्ध-विच्छेद होता है। ग्राम अथवा जाति पंचायतें आपस में ही ऐसे मामले निपटा देती हैं। हिन्दू-धर्म-शास्त्र यद्यपि सम्बन्ध-विच्छेद की कुछ अवस्थाओं में अनुमति देते हैं परन्तु उच्च जातियों में और अच्छे खानदानों में यह विधान नहीं पाया जाता। जिन दिनों हमारे धर्म-शास्त्रों के आधार पर हिन्दू-लॉ अंग्रेजी में निर्धारित किया गया था उस समय यह प्रथा हमारे यहां से बिल्कुल हट गई थी और विवाह-सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर का माना जाने लगा था। इसी कारण से हिन्दू-लॉ विच्छेद की बिल्कुल ही अनुमति नहीं देता। समाज में पुराने संस्कारों और अज्ञानता के कारण विच्छेद को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता और कानून के सामने इसकी आज्ञा ही नहीं। फल-स्वरूप हमारे यहां सम्बन्ध-विच्छेद विधिवत हो ही नहीं पाता। कहीं पति, पत्नी तथा घर-बार छोड़ कर, भाग जाता है और कभी स्त्री एक साड़ी के साथ पति-गृह से निकाल दी जाती है। अधिकांश स्त्रियां अपना रोना पीटती रहती हैं और दासी से भी निकृष्ट जीवन व्यतीत करती हुई देखी जाती हैं।

हिन्दुओं के लिये विवाह-विच्छेद का कानून बन जाना नितांत आवश्यक है। दूसरे देशों के विवाह-विच्छेद (Divorce) के कानून के अनुभव पर हमें अपने यहां के कानून का निर्माण करना चाहिये। विवाह-विच्छेद का कानून इस आधार पर बनना चाहिये :—

(१) विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी कानून के मुकदमे एक विशेष न्यायाधीश पर जाने चाहियें। साधारण न्यायाधीशों के सामने खुल्लमखुल्ला इनकी पैरवी नहीं होनी चाहिये। कम से कम विज्ञापन इन मुकदमों को मिले।

(२) विवाह-विच्छेद की अनुमति सहज में ही मिल जानी चाहिये। व्यर्थ के झगड़े, छानबीन, दोषी सिद्ध करने की आवश्यकता, वकीलों की पैरवी सब अनावश्यक सिद्ध कर दिये जायें।

(३) पति-पत्नी को, दोनों की ओर से प्रार्थना-पत्र हो अथवा किसी एक की ओर से भी हो, प्रथम अवस्था में एक वर्ष की अलग रहने की अनुमति देकर उसके बाद फिर सम्बन्ध-विच्छेद करार दे दिया जाय। इस एक वर्ष के समय में अगर वे अपने झगड़े निपटा कर पति-पत्नी बनकर रहना चाहें तो उनके रास्ते में कोई रुकावट कानूनन नहीं आनी चाहिये।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

(४) सम्बन्ध-विच्छेद के उन मुकदमों में जहाँ सन्तानों का प्रश्न सम्मुख आवे, उसमें छोटे २ बच्चे तो माता के साथ ही जाने चाहियें। शेष जो पढ़ते हैं अथवा दस वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उनका परिस्थिति-विशेष के आधार पर निर्णय होना चाहिये।

(५) अगर न्यायाधीश यह समझता है कि पति अपनी पत्नी को निकालने का दोषी है और वह इस स्थिति में है कि वह स्त्री और बच्चों के खर्चे के लिये रुपया दे सकता है तो विच्छेद की शर्त में माता तथा बच्चों के भरण-पोषण की व्यवस्था भी होनी चाहिये। स्त्री को एक निश्चित रकम, जो उसकी आवश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है, सरकार की ओर से मासिक रूप में मिलनी चाहिये और सरकार उसके पति से वह रकम वसूल करती रहे। जहां यह सम्भव नहीं वहां स्त्री के माता-पिता या अन्य सगे-सम्बन्धियों पर उसका भार डालना चाहिये। अगर कहीं भी कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता तो सरकार को अपने कोष से उसका प्रबन्ध करना चाहिये। ऐसी स्थिति कभी २ ही पैदा होगी। बच्चों के पालन-पोषण का भार समाज पर ही पड़ना चाहिये। युरोपीय देशों में इस ओर बड़ा जोरदार प्रयत्न किया जा रहा है। बर्नार्ड शॉ का तो यहां तक कहना है कि वे पति-पत्नी जो स्वयम् निःसन्तान रहते हैं. दूसरे के बच्चों को पालने के इतने ही जिम्मेवार हैं जितने कि अपने। अगर अन्य लोग भी बच्चे पैदा न करें तो देश की रक्षा शत्रुओं से किस प्रकार हो सकती है तथा किस प्रकार देश का काम चल सकता है।

विवाह-विच्छेद के विरोध में

सम्बन्ध-विच्छेद के विरोधी हमारे समाज में अधिक देखने में आते हैं। उनके विरोध के कई कारण हैं :—

(१) अपनी अज्ञानतावश वे कोई भी नयी बात पसन्द नहीं करते। इसलिये यह विधान नहीं चाहते।

(२) स्त्रियों को अपने स्वार्थ के लिये वे सदैव ही अंधकार में और दासता की स्थिति में रखना चाहते हैं। अपने अनुचित अधिकारों को वे सहज में छोड़ना नहीं चाहते।

(३) कानून का रास्ता खुल जाने पर, सम्भव है, वे विज्ञापन तथा अपनी बेइज्जती से डरते हों।

(४) कई इस कानून में पारिवारिक प्रथा के नष्ट-भ्रष्ट होने के कीटाणु पाते हैं।

(५) दूसरे देशों के समाचारों के आधार पर वे सोचते हैं कि विवाह एक खिलवाड़ हो जायगा और सन्तान-पालन वगैरह अच्छी प्रकार से नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा अन्य और भी कई कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

सचाई भी है, बाक़ी सारहीन और भ्रममूलक। इतना तो प्रत्येक समझ सकता है कि प्रत्येक विधान, रिवाज और प्रथा के अच्छे-बुरे दोनों पहेलू हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो शतांश अच्छी या बुरी हो। विवाह-विच्छेद से, सम्भव है, कुछ छोटी-मोटी बुराइयां भी आवें परन्तु यथा सम्भव कानून को अनुभव के आधार पर धीरे धीरे ठीक बनाया जा सकता है।

यह भी एक निर्भ्रान्त धारणा है कि विच्छेद की अनुमति मिलते ही, और वह भी सहज में ही, प्रत्येक विच्छेद प्राप्त करने की ओर दौड़ेगा, जैसे मिठाई बँट रही हो। वास्तविक स्थिति इससे भिन्न होगी। विच्छेद की अनुमति कानूनन मिलते ही लोग केवल अन्तिम अवस्था में ही उस दरवाजे तक पहुंचेंगे। जहां एक छोटी सी वस्तु का वियोग भी असहनीय हो जाता है, वहां पति-पत्नी सम्बन्ध तोड़ना भी प्रत्येक इतना आसान नहीं पायेगा। विवाह-सम्बन्ध देख-भाल कर, सोच-समझ कर स्थापित करने पर विच्छेद के वैसे ही कम अवसर आयेंगे। फिर एक सम्बन्ध का वजन इतना हो जाता है कि मनुष्य स्वभावतः उसे बनाये ही रखना चाहता है। नवीन सम्बन्ध अथवा नवीन जीवन की ओर शीघ्र नहीं बढ़ता। उसे आशंका ही बनी रहती है। इसलिये वे ही पति-पत्नी इससे लाभ उठाना चाहेंगे जो अपने दाम्पत्य-जीवन से सर्वथा ऊब चुके हैं, जिन्हें प्रत्येक स्थिति इससे अच्छी मालूम होगी।

स्त्रियों की आर्थिक अवस्था सुधारने पर, जिसका प्रयत्न केन्द्रीय धारा-सभा में भी हो रहा है और स्वतन्त्र रूप से भी चल रहा है, विच्छेद से उनका ही अधिक लाभ होगा। आज जो अत्याचार, सम्बन्ध-विच्छेद के न होने से और बहु विवाह की प्रथा के होने से, स्त्रियों पर हो रहे हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल सकेगा। घर से निकाल दी जाने पर हिन्दू स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती, पुरुष दूसरे विवाह के लिये स्वतन्त्र है। वह कानून का सहारा भी पूर्ण रूप से नहीं ले सकती और इस कारण सारी उमर ही दुःख में काटती है। इससे अधिक दयनीय स्थिति और एक स्त्री के लिये क्या हो सकती है कि वह अपनी इच्छा से अलग भी या अपने माता-पिता के पास या अपने किसी सगे-सम्बन्धी के पास भी न रह सके, जब कि उसका पति उस पर निर्दयतापूर्ण, अमानुषीय अत्याचार करे, उसके जीवन को भी अपने कृत्यों से संकट में डाल दे, वह स्त्री जानते हुए भी उससे न बच सके।

केन्द्रीय धारा-सभा और विच्छेद सम्बन्धी कानून

मैं ठीक नहीं कह सकता परन्तु सुना है कि केन्द्रीय धारा-सभा में* हिन्दू डाइवोर्स

*बड़ोदा रियासत में हिन्दू विवाह-विच्छेद की अनुमति है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

बिल (Hindu Divorce Bill) सम्बन्धित विषय पर विचार हुआ था परन्तु उसके पास होने का दिन नहीं आया। यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि उसके पास होने में कितना समय लगेगा। उसके लिये प्रयत्न शिक्षित समाज की ओर से होना चाहिये परन्तु देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति ने सामाजिक सुधारों की ओर से जनता को उदासीन बना रखा है। जहां पढ़ी-लिखी महिलाओं को सामाजिक सुधार का झण्डा हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिये वहां वे राजनीति के कण्टकाकीर्ण मार्ग में चल कर कांटे निकालने में लग रही हैं। उन्हें चाहिये कि विच्छेद-सम्बन्धी कानून (डाइवोर्स बिल) पास करवाने में कोई प्रयत्न बाक़ी न छोड़ें।

विशेष विवाह कानून और उसका उपयोग

जब तक विच्छेद का कानून पास नहीं हो जाता तब तक क्या किया जाय अब यह विचारणीय विषय है। लाहौर हाइकोर्ट में एक 'टेस्ट केस' हिन्दू विवाह-विच्छेद का चल रहा है। कलकत्ता हाइकोर्ट ने पति के नामर्द होने पर सम्बन्ध-विच्छेद की डिग्री पत्नी को दी है। परन्तु इस प्रकार के एक-दो मुकद्दमों से कुछ विशेष अर्थ निकलता दिखलाई नहीं पड़ता। सम्भव है इस प्रकार ही रास्ता खुल जाय।

एक और उपाय है और वह पढ़े-लिखे, समझदार, उन्नत विचार के योग्य परिवारों में काम में लाया जा रहा है। पढ़े-लिखे हिन्दू युवक-युवतियां विशेष विवाह कानून (Special Marriage Act) से लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त कानून के अनुसार विवाह की रजिस्ट्री हो जाने पर फिर समय पड़ने पर सम्बन्ध-विच्छेद किया जा सकता है। मेरा अपना विचार तो यह है कि जो माता-पिता सम्बन्ध-विच्छेद को समाज तथा व्यक्ति के हित में लाभप्रद समझते हैं उन्हें चाहिये कि यथा संभव अपने लड़के-लड़कियों के विवाह विशेष विवाह कानून (स्पेशल मैरीज़ एक्ट) के अनुसार रजिस्ट्री करवावें। हिन्दू मतावलम्बी वे युवक और युवतियां जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ही जाति में विवाह करवाते हैं, उन्हें भी चाहिये कि हिन्दू धर्मानुसार विवाह के बन्धन में न फँसकर विशेष विवाह के कानून के अनुसार विवाह रजिस्ट्री करवावें। विच्छेद सम्बन्धी कानून (डाइवोर्स बिल) के पास होने में रोड़े अटकाने वाले हिन्दूधर्म के स्तम्भ, केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों और वयोवृद्ध माननीय व्यक्तियों को इससे अधिक और अच्छा मुंह-तोड़ जवाब क्या दिया जा सकता है ? जब इससे उनकी आँखें खुलेंगी तभी वे इस बिल को केन्द्रीय धारा-सभा में पास करवाने का सतत् प्रयत्न भी करेंगे।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

परिशिष्ट सं० १

विशेष विवाह कानून

[*Special Marriage Act 1872*]

उन व्यक्तियों के लिये जो ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, बौद्ध, सिक्ख अथवा जैन मत को नहीं मानते, और उन व्यक्तियों के लिये जो हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख अथवा जैन मत को मानते हैं तथा उन विवाहों को कानूनन ठीक करने के लिये कि जिनकी स्थिति सन्देहात्मक है निम्नाकिंत कानून बनाया जाता है:—

१. यह कानून समस्त ब्रिटिश भारत पर लागू होगा।

२. इस कानून के अनुसार नीचे लिखी शर्तों पर उन स्त्री-पुरुषों की शादियां हो सकती हैं जो ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, बौद्ध, सिक्ख और जैन मत में से किसी को भी नहीं मानते अथवा उन स्त्री-पुरुषों की जो हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख अथवा जैन मत को मानते हैं:—

(१) विवाह करने वाले स्त्री-पुरुषों के पति-पत्नी कोई भी जीवित न हो।

(२) विवाह के समय लड़का १८ साल पूरे कर चुका हो और लड़की १४ साल।

(३) अगर लड़का-लड़की विवाह के समय २१ साल से कम हों तो उन्हें अपने पिता अथवा संरक्षक की अनुमति विवाह के लिये लेनी होगी।

(४) लड़के-लड़की में आपस में कोई ऐसा नज़दीकी खूनी रिश्ता न हो जो उस समय के प्रचलित कानून के अनुसार उन दिनों में विवाह गैरकानूनी ठहरावे।

३. विवाह-बन्धन में बंधने से पूर्व दोनों ओर के व्यक्तियों में से किसी एक को उस रजिस्ट्रार के पास सूचना भेजनी होगी जिसके सामने विवाह-सम्बन्ध होगा।

जिस रजिस्ट्रार के पास यह सूचना भेजी जायगी वह उस जिले का होना चाहिये जिसमें दोनों में से कोई व्यक्ति १४ दिन तक रह चुका है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

यह सूचना एक्ट में दिये हुए तरीके पर भेजी जानी चाहिये।

४. विवाह की सूचना देने के १४ दिन बाद अगर किसी भी अन्य सगे-सम्बन्धी की ओर से नं० २ (१, २, ३, ४) के आधार पर कोई आपत्ति नहीं उठती तो विवाह-सम्बन्ध निश्चित किया जा सकता है।

५. विवाह-सम्बन्ध निश्चित होने के पूर्व, जिनका विवाह होना है वे स्त्री-पुरुष और तीन साक्षी रजिस्ट्रार के सम्मुख एक्ट में दिये हुए तरीके से प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर उन दोनों में से जिनका विवाह होना है कोई २१ साल से छोटा है तो उसके पिता अथवा संरक्षक के भी हस्ताक्षर होंगे। विधवा के लिये यह आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र पर हर हालत में होना आवश्यक हैं।

६. विवाह-सम्बन्ध रजिस्ट्रार के सम्मुख होगा। विवाह की रस्म फिर किसी भी तरह से अदा की जा सकती है बशर्ते कि रजिस्ट्रार तथा साक्षियों के सामने स्त्री पुरुष से कहे कि 'मैं आपको अपना पति कानूनन स्वीकार करती हूं' और पुरुष स्त्री से कहे, 'मैं आपको अपनी पत्नी कानूनन स्वीकार करता हूँ'।

७. विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में अथवा उसके कार्यालय से आवश्यक फासले पर जहां भी वे लोग चाहें मनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो भी अतिरिक्त फीस प्रांतीय सरकार द्वारा निश्चित होगी तथा जो भी शर्तें वह लगायेगी वे दोनों को मान्य होंगी।

८. इस कानून के अनुसार जो विवाहित व्यक्ति दुबारा विवाह करायेंगे वे कानूनन अपराधी होंगे।

९. इस कानून के अनुसार जिस पुरुष व स्त्री की शादी हो चुकी है वह पत्नी अथवा पति के जीवित रहने पर अपने धर्मानुसार और कोई शादी नहीं कर सकेगा।

१०. भारतीय विवाह-विच्छेद कानून (Indian Divorce Act IV of 1869) के अनुसार उपरोक्त विवाहों में सम्बन्ध-विच्छेद किया जा सकेगा।

११. संयुक्त परिवार से उस व्यक्ति का, चाहे वह हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख और जैन हो इस कानून के अनुसार विवाह कराने पर, सम्बन्ध-विच्छेद समझा जायगा।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

१२. उपरोक्त कानून के अनुसार विवाह कराने पर उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानून (Indian Succession Act 1866 और Caste Disabilities Removal Act 1850) लागू होंगे।

१३. इस कानून के अनुसार विवाह कराने पर हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख और जैन मतावलम्बी को पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं होगा।

१४. इस कानून के अनुसार विवाह कराने वाले हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख और जैन मतावलम्बी का पिता, अगर उसके कोई और पुत्र जीवित नहीं है, तो एक बच्चा गोद ले सकता है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

परिशिष्ट सं० २

मुस्लिम औरतों के लिये विवाह-विच्छेद के नियम

[*Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939*]

मुस्लिम औरतों के लिये मुस्लिम लॉ के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद की जो अनुमति है उसको स्पष्ट करने के लिये और मुस्लिम औरतों द्वारा इस्लाम छोड़ने पर जो स्थिति होगी उसको स्पष्ट करने के लिये निम्न लिखित कानून बनाया गया है :—

१. यह कानून मुस्लिम विवाह-विच्छेद कानून कहलायेगा और समस्त ब्रिटिश भारत पर लागू होगा।

२. मुस्लिम लॉ द्वारा जिस स्त्री का विवाह हुआ है वह विवाह-विच्छेद की डिगरी निम्न लिखित किसी एक कारण पर अथवा कई कारणों पर प्राप्त कर सकती है :—

(१) चार साल तक पति लापता रहे ;

(२) पति ने दो साल से उसे छोड़ रखा है अथवा उसके रहने-सहने, खाने-पहरने का दो साल तक कोई प्रबन्ध वह नहीं कर पाता ;

(३) पति को ७ साल अथवा उससे अधिक का कारावास का दंड मिला हो ;

(४) बगैर किसी आवश्यक कारण के पति ३ साल तक विवाह-सम्बन्धी अपना कर्तव्य उसके प्रति अदा न कर सका हो ;

(५) विवाह के समय पति नामर्द हो और बाद में भी ऐसा ही बना रहे ;

(६) पति दो साल से पागल हो, अथवा कोढ़ या प्रमेह सम्बन्धी किसी बीमारी का शिकार हो ;

(७) अगर किसी स्त्री की शादी १५ साल से पहले ही उसके पिता अथवा संरक्षक ने कर दी हो और वह स्त्री १८ साल की होने से पहले अपने विवाह-सम्बन्ध को मानने में एतराज उठावे : बशर्ते कि उस शादी से कोई बचा वगैरह न हुआ हो ;

(८) अगर पति अपनी स्त्री से निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है अर्थात्:

(क) हमेशा ही स्त्री को पीटता रहता है या उसके जीवन को अपने

14553

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

व्यवहार द्वारा दुखी बनाता है ; यह आवश्यक नहीं कि वह शारीरिक कष्ट ही उसको दे ;

(ख) बदचलन औरतों के साथ मिलता-जुलता है या चरित्रहीन जीवन व्यतीत करता है ;

(ग) अपनी स्त्री को चरित्रहीन जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर करता है ;

(घ) अपनी स्त्री की सम्पत्ति बेच देता है अथवा उसके कानूनी अधिकारों को प्रयोग में लाने में बाधा उपस्थित करता है ;

(च) उसकी धार्मिक भावनाओं में बाधा उपस्थित करता है ;

(छ) एक से अधिक पत्नियों के होने पर कुरान की रू के अनुसार उनसे बराबरी का सलूक नहीं करता ;

(ज) मुस्लिम लॉ के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद के लिये जो कारण दिये गये हैं उसमें से किसी एक कारण के आधार पर।

३. मुस्लिम लॉ के अन्तर्गत मुसलमान स्त्रियों को यह सुविधा नहीं है कि केवल इस्लाम को त्याग कर अथवा और मतावलम्वी बनकर ही उनका विवाह-विच्छेद हो जाय। उन्हें उपरोक्त कारणों के आधार पर डिग्री लेनी आवश्यक होगी।

यह नियम उन स्त्रियों पर लागू नहीं होता जो किसी दूसरे धर्म से इस्लाम में आती हैं और फिर अपने पूर्व धर्म को अपना लेती है।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

SPS
306.8 R 16 V
14553

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

विवाह और विच्छेद

परिशिष्ट सं० ३

बड़ोदा राज्य का
हिन्दू विवाह-विच्छेद कानून

जिन जातियों में विवाह-विच्छेद की प्रथा है उनके अतिरिक्त अन्य जातियों में हिन्दू-लॉ विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं देता। इस कमी को पूरा करने के लिये १९३१ में हिंदू विवाह-विच्छेद कानून निर्मित किया गया। इसमें विच्छेद, न्यायानुसार अलग होना, अलग मकान लेकर रहना, विवाह को ग़ैर-कानूनी करार देना तथा पुनः विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने का विधान है। इस कानून में एक उल्लेखनीय बात यह है कि यह पत्नी को न्यायानुकूल अलग होने के लिये दावा करने के बग़ैर ही अलग मकान लेकर रहने की अनुमति देता है। यह विधान एक ओर तो पत्नी को मुक्त करता है और आश्रय देता है और दूसरी ओर पति-पत्नी को अपने झगड़े-टंटे निपटाने का अवसर देकर पुनः इकट्ठे रहने का अवसर देता है।

विच्छेद निर्दयता, शराब-खोरी, घर से निकाल देना, नामर्दी, स्वभाव की विभिन्नता तथा व्यभिचार के आधार पर मिल सकता है। विच्छेद उपरोक्त कारणों पर प्रत्येक हिन्दू को मिल सकता है। उन जातियों के व्यक्तियों को जिन में प्रचलित प्रथा के अनुसार विवाह-सम्बन्ध विच्छेद की अनुमति नहीं है वे अदालत की डिग्री पर विच्छेद प्राप्त कर सकते हैं और अन्य लोगों को केवल सम्बन्ध-विच्छेद दर्ज कराना पड़ता है।

गत ११ साल से यह कानून जारी है। इस अर्से में ५१४ मुकदमे विवाह-विच्छेद के आये जिन में ४५ इस साल में आये। इनमें ४३७ विच्छेद के लिये, २७ न्यायानुकूल अलग होने के लिये, ७ अलग मकान लेकर रहने के लिये, ५ विवाह गैर-कानूनी करार देने के लिये तथा ३८ पुनः विवाहित-सम्बन्ध स्थापित करने के लिये आये। सम्बन्ध-विच्छेद अधिकांश पति की निर्दयता, शराब-खोरी और स्त्री के घर से निकाल देने के कारण किया गया।

जिन जातियों में विवाह-विच्छेद की प्रथा नहीं पाई जाती, उन जातियों के लोग इससे वहुत कम लाभ उठा रहे हैं। यद्यपि यह कानून उन्हीं के लिये विशेष तौर पर बनाया गया है। इन जातियों के केवल ३७ व्यक्तियों ने अभी तक इस कानून से लाभ उठाया है। यह उदासीनता प्रचलित रिवाज तथा परम्परागत अन्ध-विश्वास के कारण है न कि कानून-सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण। इन वर्षों में इस कानून का लोगों ने मुकाबले में अधिक आश्रय लिया है, अर्थात आरम्भिक ५ वर्षों में केवल जहां ७ मुकदमे आये वहां गत ५ वर्षों में २६। जिन जातियों में विवाह-विच्छेद की प्रथा है उनमें विधिवत विच्छेद होने लगा है तथा उनका रिकार्ड रहने लग गया है। इतना भी कुछ कम नहीं।

[बड़ोदा राज्य की ओर से]

Sri Pratap Singh Library

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

विद्या मन्दिर लिमिटेड

के

बारे में दो शब्द

विद्या मन्दिर लिमिटेड की स्थापना १९३९ में एक लाख रुपये के मूलधन से की गई थी। इसका उद्देश्य समयोपयोगी, उन्नतशील, उत्कृष्ट सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रगतिशील साहित्य प्रकाशित करना है।

आवश्यक साधनों के अभाव में तथा महायुद्ध के आरम्भ हो जाने के कारण यह संस्था आपकी उचित और आवश्यक सेवा अभी तक नहीं कर सकी।

आज तक जो प्रकाशन इस संस्था की ओर से हुए हैं उनकी सूची आपको दूसरी ओर मिलेगी। उन पुस्तकों को पढ़ कर आप इस संस्था के कार्य के बारे में अपनी राय बना सकेंगे, तथा हमारे प्रोत्साहन और उन्नति के लिये हमें अपनी अमूल्य राय से सूचित करना नहीं भूलेंगे।

आशा है आपका हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

विद्या मन्दिर लिमिटेड

के

अन्य प्रकाशन

१–तपस्विनी (नाटक) 'लेडी विद ए लैम्प' का हिन्दी अनुवाद; सजिल्द, पृ० सं० २०० मूल्य १॥)

२–जौहर (प्रबन्ध-काव्य) रचियता सुधीन्द्र एम० ए०, साहित्यरत्न; सजिल्द, पृ० सं० २२५, मूल्य १॥)

नोटः—उपरोक्त दोनों पुस्तकें विश्व महिला-साहित्य के आजीवन सदस्यों को अमूल्य, तथा निम्न पौने मूल्य पर

३–स्वाधीनता के पथ पर (राजनीतिक उपन्यास) रचियता श्री गुरुदत्त जी, पृ० सं० ६००, सजिल्द, मूल्य ५)

४–अध्यापिका (कहानी-संग्रह) चुनी हुई रूसी और जर्मन कहानियों का अनुवाद, सजिल्द, मूल्य १॥)

५–पथिक (उपन्यास) हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर अधिकारपूर्ण प्रकाश डालने वाला, रचियता श्री गुरुदत्त जी, पृ० सं० ६००, सजिल्द, मूल्य ५)

भारतीय शिशु-रक्षक संस्था के प्रकाशन

१–प्रसव के पूर्व तथा पश्चात्
२–शिशु-जनन
३–सामाजिक जीवन में स्त्रियां

} मूल्य प्रचारार्थ केवल –) आना लागत से भी कम

मिलने का पता—व्हीलर तथा समस्त प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं से और विद्या मन्दिर लिमिटेड के कार्यालय से।

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE

Digitized by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE